न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/86

1. बृजराज सिंह (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. हंसा कुंवर पत्नी स्व0 श्री बृजराज सिंह उम्र 68 वर्ष ।
   1/2. अमर सिंह पुत्री स्व0 श्री बृजराज सिंह उम्र 45 वर्ष ।
   1/3. रतन कुंवर पुत्री स्व0 श्री बृजराज सिंह उम्र 43 वर्ष ।
   1/4. जगदीश सिंह पुत्र स्व0 श्री बृजराज सिंह उम्र 40 वर्ष ।
   1/5. हिरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री बृजराज सिंह उम्र 36 वर्ष ।
   1/6. जयराजसिंह पुत्र स्व0 श्री बृजराज सिंह उम्र 34 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण केवल नगर ग्राम पंचायत आलनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. डूंगर सिंह आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम केवल नगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. कमीश्नर, सिंचाई विभाग, सी0ए0डी0 सर्किल कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 13.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हनोतिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 351 रकबा 0.14 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 318 की रकबा 0.08 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है । उक्त आराजी के बन्दोबस्त से पूर्व खसरा नम्बर 196 की 10 बिस्वा गैर मु0 चाह एवं खसरा नम्बर 191/393 की रकबा 19 बिस्वा कुल 01 बीघा 09 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड थी तथा मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014 में खसरा नम्बर 48 की 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 54 की 19

बिस्वा कुल 01 बीघा 09 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है वर्तमान में कुल रकबा 22 हैक्टर दर्ज रिकॉर्ड है तथा सेटलमेंट विभाग के द्वारा 19 बिस्वा का रकबा घटाकर मात्र 14 बिस्वा कर दिया गया है तथा 10 बिस्वा का रकबा घटाकर 08 बिस्वा कर दिया गया । खसरा नम्बर 318 की रकबा 0.08 हैक्टर को प्रतिवादीगण के द्वारा बिना नोटिस दिए हुए ही उक्त भूमि को अधिग्रहण कर लिया तथा सिंचाई विभाग आलनिया डेम के नाम दर्ज रिकॉर्ड कर दिया । अधिग्रहण करने से पूर्व वादीगण को प्रतिवादीगण के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी गई और न ही किसी प्रकार का कोई मुआवजा राशि दी गई । वर्तमान में वादीगण को उक्त भूमि खसरा नम्बर 318 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि से बेदखल कर खुदवाई का कार्य करना चाहते हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम हनोतिया की आराजी खसरा नम्बर 351 की रकबा 0.14 हैक्टर भूमि का रकबा बढाया जाकर 0.19 हैक्टर किया जावे एवं खसरा नम्बर 318 की रकबा 0.08 हैक्टर भूमि का रकबा बढाया जाकर 0.10 हैक्टर भूमि अंकित किया जावे एवं उक्त भूमि का मुआवजा भी वादीगण को दिलया जावे तथा सम्पूर्ण रकबे पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.12.2014 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2014 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी व मौखिक साक्षों पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया जबकि अपीलान्ट के द्वारा आराजी से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज व साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे । मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2016–24 के अनुसार खसरा नम्बर 196 की रकबा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 191/393 की 19 बिस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी तथा सेटलमेंट विभाग के द्वारा रकबा घटा दिया तथा खसरा नम्बर 351 का रकबा 14 बिस्वा तथा 318 का रकबा 08 बिस्वा कर दिया । इस प्रकार कमी रकबा करने का सेटलमेंट विभाग को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय के साथ डिक्री पारित नहीं की गई जिस पर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 29.01.2015 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 02.03.2015 को उक्त डिक्री की नकल प्राप्त हुई । अपीलान्ट द्वारा नकल प्राप्त होने पर रूपये पैसों की व्यवस्था कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा पेश कर यह कथन किया था कि वादी के खाते की आराजी कम कर बिना वादी को नोटिस दिये प्रतिवादीगण के द्वारा अधिग्रहण कर ली गई है । अपीलान्ट को न तो कोई सूचना दी गई और न ही कोई मुआवजा दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1 के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया था । प्रतिवादी क्रम 2 के द्वारा भी जवाबदावा पेश किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम की है परन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है । सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । वादी अपना दावा सिद्ध नहीं कर पाये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.12.2014 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा हक घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया है कि ग्राम हनोतिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 351 रकबा 0.14 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 318 की रकबा 0.08 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है । उक्त आराजी के बन्दोबस्त से पूर्व खसरा नम्बर 196 की 10 बिस्वा गैर मु0 चाह एवं खरा नम्बर 191/393 की रकबा 19 बिस्वा कुल 01 बीघा 09 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड थी मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014 में खसरा नम्बर 48 की 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 54 की 19 बिस्वा कुल 01 बीघा 09 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है वर्तमान में कुल रकबा 0.22 हैक्टर दर्ज रिकॉर्ड है तथा सेटलमेंट विभाग के द्वारा 19 बिस्वा का रकबा घटाकर मात्र 14 बिस्वा कर दिया गया है तथा 10 बिस्वा का रकबा घटाकर 08 बिस्वा कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 318 की रकबा 0.08 हैक्टर को प्रतिवादीगण के द्वारा बिना नोटिस दिए हुए ही अधिग्रहण कर लिया तथा सिंचाई विभाग आलनिया डेम के नाम दर्ज रिकॉर्ड कर दिया । अतः ग्राम हनोतिया की आराजी खसरा नम्बर 351 की रकबा 0.14 हैक्टर भूमि का रकबा बढाया जाकर 0.19 हैक्टर किया जावे एवं खसरा नम्बर 318 की रकबा 0.08 हैक्टर भूमि का रकबा बढाया जाकर 0.10 हैक्टर भूमि अंकित किया जावे एवं उक्त भूमि का मुआवजा भी वादीगण को दिलया जावे तथा सम्पूर्ण रकबे पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे ।

11. वादी के द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उसमें नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 पेश की है जिसमें अनुसार खसरा नम्बर 351 की आराजी वादीगण के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 6 और 7, नकल जमाबन्दी 2065 से 2068 पेश की गई हैं । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2038 से 2057 के अनुसार वादीगण के खाते में खसरा नम्बर 351 की 0.14 हैक्टर दर्ज है । फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 196 के हाल खसरा नम्बर 318 रकबा 0.08 हैक्टर कायम किये गये हैं । साबिक खसरा नम्बर 191/393 के हाल खसरा नम्बर 351 रकबा 0.14 हैक्टर कायम किये हैं । पत्रावली पर नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 2 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 196 रकबा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर

191/393 रकबा 19 बिस्वा वादीगण के खाते में दर्ज है । पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 पेश की है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 196 रकबा 10 बिस्वा सिंचाई विभाग के खाते दर्ज है और नकल जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 के अनुसर साबिक खसरा नम्बर 191/393 रकबा 19 बिस्वा भूमि वादीगण के खाते में दर्ज है । इस प्रकार साबिक खसरा नम्बर 196 उक्त नकल जमाबन्दी संवत् 2016 से 2024 प्रदर्श– 2 वादीगण के खाते दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 सिंचाई विभाग के खाते दर्ज है । यद्यपि पूर्व में रकबा बीघा में दर्ज है व हाल रकबा हैक्टर में दर्ज है । वादी ने हैक्टर में रकबा दर्ज होने के बावजूद कम कैसे हुआ यह स्पष्ट नहीं किया है परन्तु साबिक खसरा नम्बर 196 किस आधार पर वादी के खाते से सिंचाई विभाग के खाते दर्ज किया गया यह प्रतिवादीगण ने स्पष्ट नहीं किया है । ऐसी स्थिति में समस्त साक्ष्य का विवेचन कर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है ।

12. पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात भी पृष्ठ संख्या 53 पर संलग्न है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है । व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 05 के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पत्रावली प्राप्ति के 02 माह के अन्दर सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.04.2019 को उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा